



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

दिनांक- 23.08.2019 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।

➤ अवैध शराब विक्रय / परिवहन / निष्कर्षण के विरुद्ध की गयी कार्यवाही-

थाना अहिरौली बाजार -

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तों 1-प्रहलाद पुत्र पुरन यादव साकिन मिश्रौली थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर, 2-विजय शंकर पुत्र रामचन्द्र साकिन बलुआ थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर क्रमशः मु0अ0सं0- 215/19, 216/19 धारा 60 आबकारी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ वांटीयों की गिरफ्तारी- (कुल- 06)

थाना सेवरही-

थाना सेवरही पुलिस द्वारा 04 नफर वांटी अभियुक्तों 01- सुकट पुत्र नकछेद, 2-इस्लाम पुत्र नकछेद साकिनान तिवारीपट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0न0 1608/06 धारा 325,323,504,506 भादवि 03- प्रेम पुत्र पुरन गौड साकिन वार्ड न0 2 जानकी नगर थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0न0 2078/11 धारा 325,323,504,506 भादवि, 4-किशोर पुत्र हीराबीन साकिन तिवारीपट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0न0 692/12 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार कर अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना ने0 नौ0-

थाना ने0 नौ0 पुलिस द्वारा 02 नफर वांटी अभियुक्तों 01- सुग्रीव पुत्र रामदयाल, 2-रामेश्वर पुत्र हंसराज साकिनान तेजवलिया थाना ने0 नौ0 जनपद कुशीनगर को मु0न0 893/19 धारा 323,504,506,452,354 भादवि के अन्तर्गत गिरफ्तार कर अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना कसया-

थाना कसया पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त सिकन्दर पुत्र आत्मा कुशवाहा साकिन रामबर पोखरभिन्डा थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद चाकु बरामद कर मु0अ0सं0 498/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 18 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

➤ कार्यवाही एक नजर में =

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही कुल-चालान, वाहन-48 से शमन शुल्क- रु0-14800
- 2- वांटीयों की गिरफ्तारी- (कुल-06)
- 3- आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-02, अभि0-02, बरामदगी- 20 लीटर कच्ची अवैध शराब।
- 4- आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही मु0-01, अभि0-01 बरामदगी-अदद एक अदद चाकु।

मीडिया सेल
कुशीनगर।